

एनेक्चर-2

बैंक द्वारा पूर्व में निर्धारित ग्राहको एवं ऋणी सदस्यो से विभिन्न प्रकार की सेवा शुल्क की दरों में दिनांक 1.10.2016 से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. चालू खाता

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.10.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	न्यूनतम जमा शेष 3000 /-रूपये	-
2.	न्यूनतम जमा शेष नहीं रखने पर सर्विस चार्ज	200 /-रूपये तिमाही आधार (PLS PROVIDE THE PRODUCT CODE)
3	खातेदार द्वारा एक वर्ष पूर्व खाता बंद करने पर	रूपये 200 /-(PLS PROVIDE THE PRODUCT CODE)
4	डुप्लीकेट पासबुक/ स्टैंटमेंट आफ एकाउंट चार्जेज	अंतिम शेष की प्रविष्टि अंकित कर देने पर रूपये 50 /- एवं पुरानी प्रविष्टियों के साथ नकल देने पर प्रति पेज रूपये 20 /-
5	चैकबुक चार्जेज	रूपये 3 /- प्रति चैक

2. बचत खाता

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.10.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	न्यूनतम जमा शेष 300 /-रूपये बिना चैकबुक चैकबुक पर न्यूनतम जमा शेष 500 /-	-
2.	न्यूनतम जमा शेष नहीं रखने पर सर्विस चार्ज	100 /-रूपये तिमाही आधार पर(PLS PROVIDE THE PRODUCT CODE)
3	खातेदार द्वारा एक वर्ष पूर्व खाता बंद करने पर	100 /- रूपये
4	डुप्लीकेट पासबुक/ स्टैंटमेंट आफ एकाउंट चार्जेज	अंतिम शेष की प्रविष्टि अंकित कर देने पर रूपये 50 /- एवं पुरानी प्रविष्टियों के साथ नकल देने पर प्रति पेज रूपये 20 /-
5	चैकबुक चार्जेज	Rs. 3/- per cheque

3. हाईपोथिकेशन, कैश क्रेडिट, कार्यशील पूंजी, क्रेडिट कार्ड सीमाओं के अंतर्गत ऋणियों केखाते

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.10.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	डुप्लीकेट पासबुक/ स्टैंटमेंट आफ एकाउंट चार्जेज	अंतिम शेष की प्रविष्टि अंकित कर देने पर रूपये 50 /- एवं पुरानी प्रविष्टियों के साथ नकल देने पर प्रति पेज रूपये 20 /-
2	चैकबुक चार्जेज	रूपये 3 /- प्रति चैक

4 बैंकर्स चैक और डीडी बनवाना।

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.10.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	रूपये 10000 /- तक	30 /-रूपये
2	रूपये 10,000 /- से अधिक पर	35 /-रूपये प्रति अगले 10000 /- रूपये तक न्यूनतम 50 /-रूपये

5. चैक रिटर्न होने पर

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.10.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	चैक रिटर्न होने पर स्थानीय एवं बाहर के (चालू खाता, बचत खाता एवं ऋणियोंके ऋण खातों के चैक)	1 लाख तक 125 + OOP 1 लाख से उपर 250 + OOP

* OOP - (Out of Pocket Charges)

6. आउट स्टेशन चैक कलेक्शन चार्जेज

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.10.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	रुपये 5000/- तक	रुपये 25/-
2	रुपये 5000-10000 तक	रुपये 50/-
	रुपये 10000 से अधिक से 1 लाख तक	रुपये 100/-
	रुपये 1 लाख से अधिक से 5 लाख तक	रुपये 150/-
	रुपये 5 लाख से अधिक से 10 लाख तक	रुपये 160/-
	रुपये 10 लाख से अधिक	रुपये 180/-
3)	डुप्लीकेट ड्राफ्ट चार्ज/ कॅसीलेशन चार्ज	रुपये 100/-
4)	डुप्लीकेट मियादी अमानत रसीद चार्जेज	रुपये 100/-
5)	नो-ड्यूज सर्तीफिकेट	रुपये 100/-
		एसजीएसवाय चयनित परिवार हेतु रुपये 20/-
6)	पुराने रेकॉर्ड की जानकारी	रुपये 150/- प्रति पेज
7)	कागजात प्रमाणित करवाना	रुपये 150/-
8	साईन वेरीफिकेशन	रुपये 150/-
9	चैक रिकार्ड की प्रति	रुपये 100/-
10	बैंलेंस/ब्याज प्रमाण पत्र	रुपये 100/-
11	स्टाप पेमेंट एवं स्थायी निर्देश (चालू खाता, बचत खाता, कॅश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कार्यशील पूंजी, क्रेडिट कार्ड सीमा खातों)	रुपये 100/-
12	गारंटी कमीशन (बैंक में जमा सावधि अमानत के आधार पर मूल अमानत की राशि तक गारंटी दी जायेगी एवं सावधि अमानत की अवधि तक ही गारंटी दी जायेगी)	वार्षिक आधार पर 2% गारंटी शुल्क, 1. न्यूनतम रुपये 500/- 2. 1.00 लाख से 5.00 लाख तक 2 % एवं 3. 5.00 लाख से अधिक 2.50 %

7. आईबीसी/ओबीसी कलेक्शन चार्जेज

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.10.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	रुपये 10,000/- तक	रुपये 100 + OOP
2	रुपये 10,000/- से अधिक पर	रु 8/- प्रति 1000 + OOP

8. एटीएम चार्जेज

Transactions	RuPay Debit Cards(Service tax extra)	
	Finacial (Cash Withdrawal)	Non- Finacial (Balance Enquiry, PIN Chage, Mini Statement)
Own ATM		
Free (finacail/non-finacial transaction per Month in metro cities and non-metro cities	Five	Five
Charges From 6 th Transation onward of a month	Rs. 17/-	Rs.9/-
Other Bank's ATM		
Free (Financial/non-finacial) Transactions per month in metro cities and non-metro cities and non-metro cities	Five	Five
Charges from 6 th Transaction onward of a month	Rs. 17/-	Rs.9/-

DAILY USAGE LIMITS	RuPay Debit Cards
Cash Withdrawal (max three transactions per day)	Rs. 40,000/-
Purchase Transaction Limit at Merchant Establishment	Rs. 40,000/-

9. बैंक के कृषि/गैर कृषि ऋणों पर चार्जेज निर्धारण बाबत

संचालक मण्डल से हुए विचार विमर्श एवं प्रशासक महोदय बैंक से पूर्व में पारित प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 12.10.2015 को मध्यनजर रखते हुए इन ऋणों पर बैंक की होने वाली स्टेशनरी, डाक्यूमेंटेशन व अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऋणों पर स्टेशनरी, डाक्यूमेंटेशन व अन्य खर्च में निम्नानुसार उक्त चार्जेज लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	ऋण का प्रकार	सर्विस चार्जेज की दर
1	कृषि/गैर कृषि व्यक्तिगत/समिति स्तर के ऋण (Intergated Loan)	1.00%
2	कृषि व्यक्तिगत/समिति स्तर के ऋण (Agriculture)	0.50%
3	अल्पकालीन ऋण समिति के माध्यम से	0.50%
4	व्यापारिक साख सीमा/कार्यशील पूंजी ऋण	1.00%

क्रम संख्या 3 पर प्राप्त चार्जेज खरीफ 2016 से लागू कर आनुपातिक रूप से समिति स्तर पर 0.25 प्रतिशत एवं शाखा स्तर पर 0.25 प्रतिशत चार्जेज रखे जायेंगे, ताकि बैंक/समिति की सक्षमता/ लाभ प्रदत्ता के साथ साथ असन्तुलन में कमी लायी जा सकें।

10. ऋणियों से वसूली सम्बन्धित शुल्क

क्र.सं	विवरण	शुल्क
1	नोटिस/रिमाइन्डर	50/-
2	धारा 99नोटिस	100/-
3	धारा 99ऑर्डर	150/-
4	धारा 100मांग नोटिस	200/-

11. लॉकर किराया

क्र.स.	विवरण	दिनांक 01.01.2016 से नवीन निर्धारित शुल्क
1	छोटी साईज के लॉकर"अ"	रूपये 900/- वार्षिक + Service Charges
2	मीडियम साईज के लॉकर"ब"	रूपये 1500/- वार्षिक + Service Charges
3	बड़ी साईज के लॉकर"स"	रूपये 2500/- वार्षिक + Service Charges

12. स्टाफ कर्मचारियों को छोटी साईज के लॉकर रियायती दर पर एलाट किये जा सकेंगे जिनका वार्षिक शुल्क रूपये 400/-+ Service Charges रहेगा, एक कर्मचारी को एक से अधिक लॉकर आवंटित नहीं किया जायेगा. रियायती लॉकर कर्मचारी स्वयं के नाम से या उसकी पत्नि के नाम से एलाट किया जा सकेगा।
13. लॉकर किराये पर सर्विस टेक्स का भुगतान ग्राहक द्वारा वहन किया जायेगा।
14. लॉकर किराया समय पर जमा नहीं कराने पर लॉकर धारक से निम्न प्रकार से शास्ति वसूल की जायेगी:-

- 1 छोटी साईज के लॉकर राशि रूपये 100/- प्रति त्रैमास की दर से वसूल की जायेगी।
 2 मीडियम साईज के लॉकर राशि रूपये 150/- प्रति त्रैमास की दर से वसूल की जायेगी।
 3 बड़ी साईज के लॉकर राशि रूपये 200/- प्रति त्रैमास की दर से वसूल की जायेगी।

15. लॉकर किराया वसूल करने के लिए नवीन प्रक्रिया प्रस्तावित की जा रही है, जो निम्न हैं :-

लॉकर धारक/धारकों के बचत खाता व मियादी अमानत खाता KYC Norm's की अनुपालना करते हुए खोला जाना अनिवार्य होगा। लॉकर धारक/धारकों से मियादी अमानत राशि लॉकर किराया की सुनिश्चिता हेतु ली जानी अनिवार्य होगी। इस मियादी अमानत की ब्याज राशि त्रैमासिक आधार पर लॉकर धारक/धारकों के बचत खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। इस बचत खाते से लॉकर किराया प्रतिवर्ष वसूल किया जायेगा। इसके लिए लॉकर धारक/धारकों से डेबिट ऑथोरिटी प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी, जिसे शाखा रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावे।

(SB Account For Locker Rent- Locker No.....)

मियादी अमानत राशि निम्न प्रकार से रहेगी।

- | | | | |
|----|--------------------|---|---------|
| 1. | छोटी साईज के लॉकर | - | 15000/- |
| 2. | मध्यम साईज के लॉकर | - | 30000/- |
| 3. | बड़ी साईज के लॉकर | - | 50000/- |

मियादी अमानत रसीद 5 वर्ष तक बनायी जायेगी। इसके पश्चात इस मियादी अमानत रसीद का नवीनीकरण करवाया जायेगा। त्रैमासिक आधार पर अमानतों पर अधिकतम ब्याज दर निर्धारित रहेगी। जब लॉकर धारक लॉकर विद्धो करेगा उसके पश्चात् उक्त मियादी अमानत रसीद का भुगतान किया जा सकेगा। मियादी अमानत रसीद पर निम्न लीयन मार्क अंकित करना होगा।

(For Locker Rent- Locker No.....)

इस मियादी अमानत रसीद को रहन रखकर Loan Against Term Deposit अग्रिम नहीं किया जायेगा।

लॉकर की "की" खो जाने पर होने वाले व्यय को लॉकर धारक/धारकों द्वारा वास्तविक व्यय वहन करना होगा।

16. समरूप लॉकर किराया देय तिथि :-

किसी कलेण्डर वर्ष में माह जनवरी से जूनतक लॉकर किराये देने पर (प्रथम वर्ष) लॉकर धारक/धारकों से 1 वर्ष का किराया + सरकार द्वारा लगाया जाने वाले सेवा कर वसूल किया जायेगा।

किसी कलेण्डर वर्ष में माह जुलाई से दिसम्बरतक लॉकर किराये देने पर (प्रथम वर्ष) लॉकर धारक/धारकों से 6 माह का किराया + सरकार द्वारा लगाये जाने वाले सेवा कर वसूल किया जायेगा।

द्वितीय(आगामी) वर्ष से समस्त आवंटित (लॉकर्स जो किसी भी माह में आवंटित होने पर भी) लॉकर किराये की देय तिथि प्रतिवर्ष माह जनवरी रहेगी।

समस्त लॉकरों की किराया देय तिथि भी माह जनवरी करने के लिए लॉकर धारको को सूचित किया जावे, एवं अंतर किराया + सेवा कर लॉकर धारकों से वसूल किया जावे। पुराने लॉकर धारक/धारकों के ऐसे मामलों में जिनसे पूर्व में किसी भी प्रकार की लॉकर किराये के विरुद्ध मियादी अमानतें प्राप्त नहीं कि गयी है, अथवा कम कि गयी है, ऐसे ग्राहकों को तत्काल जरिये पत्र के सूचित कर निर्धारित राशि अनुसार मियादी अमानतें प्राप्त करें एवं बिन्दु संख्या 3 में वर्णित प्रक्रिया सुनिश्चित करें, यदि किसी लॉकर धारक की सूचना के बावजूद मियादी अमानतें प्राप्त नहीं होती है, तो नियमानुसार उनसे लॉकर खाली करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपरोक्त लॉकर किराये में वृद्धि, बकाया किराये पर शास्ति की निर्धारित दरें दिनांक 01.07.2016 से लागू की जाती है।

17. बैंक कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी प्रकार की सेवा शुल्क से मुक्त रहेंगे, इन्हें बैंकिंग सेवाएँ निःशुल्क पूर्ववत् उपलब्ध रहेंगी।

18. NEFT/RTGS/IBT चार्जेज निम्नानुसार है:-

S.No	Items	Transation Slab	Charges
1	NEFT	Upto Rs. 1.00 Lac	Rs. 6.00+ ServiceTax
2		Above Rs. 1.00 Lac to 2.00 Lac	Rs. 17.00+ServiceTax
3		Above Rs. 2.00 Lac	Rs. 28.00+ServiceTax
4		Above Rs 5.00 Lac	Rs. 56.00+ServiceTax

उपरोक्त विभिन्न प्रकार की बैंक द्वारा ग्राहकों से वसूल की जाने वाली सेवाशुल्क/चार्जेज की नई दरें दिनांक 01.10.2016 से लागू की जाती है जिसकी पालना तत्परता से समस्त शाखा प्रबंधक एवं प्रबंधक परिचालन बैंक करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

अध्यक्ष